Sultanate of Oman
Ministry of Manpower

سلطنة عُمان
وزارة القوى العاملة

الهندية
HINDI

ارشادات عامة للقوى العاملة غير العمانية للعمل في سلطنة عمان

सल्तनत ऑफ ओमान में विदेशी कर्म चारियों के लिए महावपूर्ण निर्देश

प्रिय कामगारों,

हम आपका ध्यान इन निम्नलिखित विषयों पर दिलाना चाहते हैं जो आप और आप के मालिक के बीच के संबंधों को संचालित करते हैं :

- काम के सिलसिले में ओमान में आपके आगमन पर यदि आप अपने मालिक के सही पते पर नहीं पहुँच पाते हैं तो कृप्या इस फोन नंबर **80077000** पर या मैनपावर मिनिस्ट्री से संपर्क करें ।

- यदि ओमान में आपके आगमन के एक महीने के अंदर आप का आईडी कार्ड या रेजीडेंस कार्ड नहीं बन पाया तो इसकी सूचना फ़ौरन अपने सुपरवाईजर को दें या मैनपावर मिनिस्ट्री के नज़दीकी निदेशालय या विभाग कार्यालय से संपर्क करें।

- आप का आईडी कार्ड सरकारी दस्तावेज़ है और आपकी पहचान है। इसे सदैव सम्हाल कर अपने साथ रखें।

- आप अपने पासपोर्ट की वैधता की समाप्ति की तारीख से पहले ही इसका नवीनीकरण करवा लें।

- वर्क परमिट़आईडी कार्ड और रेजीडेंसी वीजा की फीस अदा करने के लिए आपका मालिक जिम्मेवार है।जब तक आप कानूनी तौर से काम में नियुक्त हैं तब तक किसी भी तरह की फीस अदा करने के लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं।

- यह आपका अधिकार है कि आप अपने अनुबंध की एक कॉपी लेकर कर अपने पास रखें ताकि आपको अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की सही जानकारी हो।

- अगर आपको अपना वेतन मिलने में देरी हो रही है तो आप इसकी मांग अपने सुपरवाईजर से करें।अगर वह आपका वेतन देने से इंकार करता है तो इसकी रिपोर्ट मैनपावर मिनिस्ट्री के नज़दीकी निदेशालय या विभाग कार्यालय में करें।

- ओवर टाईम करने पर ओमानी श्रम कानून नंबर **35 / 2005** और इस के बाद के संशोधन के तहत मालिक ओवर टाईम का वेतन देने के लिए बाध्य है।

- यदि आप और आप के मालिक के बीच झगड़ा हो जाए तो इसकी सूचना अपने सुपरवाईजर को दें ।अगर फिर भी मामला न सुलझ पाए तो अपना काम छोड़े बिना मैनपावर मिनिस्ट्री के नज़दीकी निदेशालय या विभाग कार्यालय से संपर्क करें ।

- अगर बिना किसी उचित कारण से आप को काम से निकाल दिया गया है तो इस के नोटिस के **15** दिन के अन्दर ही किसी मैनपावर मिनिस्ट्री के नज़दीकी निदेशालय या विभाग कार्यालय में प्रार्थनापत्र देकर निष्कासन के फैसले को रोका जा सकता है।

- याद रखें कि यदि कोई कामगार बगैर वर्क परमिट या अपने मालिक के अलावा दूसरी जगह काम करता हुआ या अपने काम से भागा हुआ पाया गया तो कम से कम एक महीने की जेल और 400 से 800 ओमानी रियाल तक का जुर्माना देना होगा। या दोनों सज़ाओं में से किसी एक का हकदार होगा। साथ ही उसका परमिट रद्द करके जिसने उसे काम पर रखा उसके खर्चे पर देश निकाला दे दिया जाएगा और वह कामगार कभी भी सल्तनत ऑफ ओमान में दोबारा दाखिल नहीं हो सकेगा।

- आप अपने कार्यालय सहकर्मी के साथ सहयोग करते रहें। अगर कोई जानबूझ कर उनके काम में बाधा. डालेगा तो उसे वित्तीय जुर्माना या जेल की सज़ा या दोनों हो सकते हैं और इस तरह की घटना बार बार. होने पर दंड दुगना भी हो सकता है।

- कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करना आपको सुरक्षा प्रदान करता है।

- आप को दिए गए औजार और उपकरणों को सम्हाल कर रखें और नौकरी की समाप्ति पर इनको अपने मालिक को लौटा दें।

- इस्लाम धर्म का सम्मान करें कानून व नियमों का पालन करें तथा सामाजिक व नैतिक मूल्यों का आदर करें। ऐसी किसी भी गतिविधि जिससे ओमान की सुरक्षा पर गलत असर पड़े उसमें भाग लेने की सख्त मनाही है।

- आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को ठीक से जानने के लिए श्रम कानून देखें। इसकी प्रति आप मैनपावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

www.manpower.gov.om

शुभकामनाओं सहित
डायरेक्टरेट जनरल मज़दूर कल्याण